**<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>**
**<u>20.12.2025</u>**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिमला ने कपिल धीमान एवं अन्य के मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), शिमला के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है।

ईडी ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी), सोलन, हिमाचल प्रदेश द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत कपिल धीमान (तत्कालीन उप औषधि नियंत्रक/औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकारी, सोलन, हिमाचल प्रदेश सरकार) एवं अन्य के खिलाफ जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने औषधि निर्माण लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण करने के लिए अवैध रिश्वत प्राप्त की और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की। परिणामस्वरूप, एसवी एंड एसीबी, सोलन ने माननीय विशेष न्यायाधीश सोलन की अदालत के समक्ष उक्त मामले में 09.03.2018 की तारीख का आरोप पत्र दाखिल किया।

अनुसूचित अपराध के मुकदमे के दौरान, माननीय विशेष न्यायाधीश, सोलन, हिमाचल प्रदेश ने दिनांक 11.12.2024 के निर्णय द्वारा कपिल धीमान, लक्ष्मण सिंह धीमान (कपिल धीमान के पिता) और पुनीत धीमान (कपिल धीमान के भतीजे) को उक्त अपराध में उनकी भूमिकाओं के लिए दोषी ठहराया।

ईडी की जांच से पता चला कि कपिल धीमान ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए, अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने वाली फार्मास्युटिकल फर्मों से अपराध के आगम (पीओसी) उत्पन्न किए और उसे अपने नाम पर और अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों, जिनमें उनके पिता और भतीजे भी शामिल हैं, के नाम पर चल और अचल संपत्तियों में निवेश करके बेदाग के रूप में पेश किया। अवैध धन बेनामी लेनदेन, बिना समझौते के असुरक्षित ऋण, नकद भुगतान और जटिल बैंकिंग व्यवस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था।

इससे पहले, पीएमएलए के तहत जांच के दौरान, ईडी ने कपिल धीमान और उनके परिवार के सदस्यों की लगभग 2.07 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को 12.01.2022 की तारीख के अस्थायी कुर्की आदेश के माध्यम से अस्थायी रूप से कुर्क किया था।

आगे की जांच जारी है।